सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 15, रविवार, शाके 1945-अगस्त 06, 2023 *Sravana 15, Sunday , Saka 1945- August 06, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 05, 2023

संख्या प. 9(18)राज-1/2022-(1) :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सम्बन्ध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं केआंशिक अधिक्रमण में राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्न प्रकार आदेश प्रदान करती है:-

<u>जिलों का गठन/पुनर्गठन</u>

1. अनूपगढ- श्रीगंगानगर एवं बीकानेर जिलों का पुनर्गठन किया जा कर नया जिला अनूपगढ़ गठित किया जाता है जिसका मुख्यालय अनूपगढ़ होगा।

नवगठित अनूपगढ़ जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित की जाती है:-

नवगठित जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
अनूपगढ	1. अनूपगढ़	अनूपगढ़
	2. रायसिंहनगर	रायसिंहनगर
	3. श्रीविजयनगर	श्रीविजयनगर
	4. घडसाना	घडसाना
		रावला
	5. छत्तरगढ	छत्तरगढ
	6. खाजूवाला	खाजूवाला

2. श्रीगंगानगर- पुनर्गठित श्रीगंगानगर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगी:-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
श्रीगंगानगर	1. श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर
	2. श्रीकरणपुर	श्रीकरणपुर
	3. सूरतगढ़	सूरतगढ़
	4. सार्दुलशहर	सार्दुलशहर
	5. पदमपुर	पदमपुर
		गजसिंहपुर

3. बीकानेर– पुनर्गठित बीकानेर जिले में निम्नलिखित उपखण्ड तथा तहसीलें सम्मिलित रहेगीः-

जिला	नाम उपखण्ड	नाम तहसील
बीकानेर	1. बीकानेर	बीकानेर
	2. लूणकरणसर	लूणकरणसर
	3. नोखा	नोखा
	4. पूगल	पूगल
	5. श्रीडूंगरगढ	श्रीडूंगरगढ
	6. कोलायत	कोलायत
		हदा
	7. बज्जू	बज्जू

यह अधिसूचना दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी होगी।

अपर्णा अरोरा,
अतिरिक्त मुख्य सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।